नर्सिंग, प्रसूति विद्या और दंत चिकित्सा में सुधार के लिये स्वास्थ्य देखभाल विधेयक

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग (NNMC) विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक

मेन्स के लिये:

अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्त्व, नर्सिंग, प्रसूति विद्या और दंत चिकित्सा से संबंधित चुनौतियाँ, सरकारी पहलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने **राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग** (National Nursing and Midwifery Commission- NNMC) **विधेयक** , 2023 तथा **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023** पारित किया।

- इन विधेयकों का उद्देश्य मौजूदा अधिनियमों को निरस्त कर विभिन्न **चिकित्सा क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है।**

राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023:

- **परिचय:**
    - NNMC विधेयक एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कानून है जिसका उद्देश्य **भारत में नर्सिंग और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में सुधार एवं विस्तार** करना है।
    - इसके तहत नर्सिंग और प्रसूति विद्या पेशेवरों के लिये एक **नियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग** की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
    - **भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 1947** काफी पुराना है और **नर्सिंग तथा प्रसूति विद्या पेशे की वर्तमान ज़रूरतों एवं मांगों के अनुरूप नहीं है।** इसलिये शिक्षा, प्रशिक्षण, अभ्यास एवं सेवा मानक के मामले में पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण विकास को देखते हुए इसमें सुधार किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग:**
    - **संरचना:**
        - इसमें 29 सदस्य होंगे।
        - **नर्सिंग और प्रसूति विद्या में स्नातकोत्तर डिग्री** और 20 वर्षों के अनुभव के साथ अध्यक्ष।
        - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सैन्य नर्सिंग सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पदेन सदस्य।
        - नर्सिंग और प्रसूति विद्या पेशेवरों तथा धर्मार्थ संस्थानों के अन्य सदस्य।
    - **कार्य:**
        - नर्सिंग और प्रसूति विद्या हेतु शिक्षा के लिये नीतियाँ बनाना तथा मानकों को विनियमित करना।
        - नर्सिंग और प्रसूति विद्या संस्थानों के लिये एक समान प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करना।
        - नर्सिंग और प्रसूति विद्या संस्थानों को विनियमित करना।
        - शिक्षण संस्थानों में संबद्ध संकाय के लिये मानक स्थापित करना।
- **स्वायत्त बोर्ड:**
    - **नर्सिंग और प्रसूति विद्या स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड:** इसका कार्य स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा तथा परीक्षा को विनियमित करना है।
    - **नर्सिंग और प्रसूति विद्या मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड:** यह नर्सिंग तथा प्रसूति विद्या संस्थानों के मूल्यांकन एवं रेटिंग के लिये रूपरेखा

प्रदान करता है।
    - **नर्सिंग और प्रसूति विद्या नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड:** पेशेवर आचरण को विनियमित करना तथा पेशे में नैतिकता को बढ़ावा देना।
- **राज्य नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग:**
    - इसका गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।
    - इसमें स्वास्थ्य विभाग और नर्सिंग/प्रसूति विद्या कॉलेजों के प्रतिनिधियों सहित 10 सदस्य शामिल होंगे।
    - इसके कार्यों में **पेशेवर आचरण लागू करना**, राज्य रजिस्टरों में डेटा दर्ज करना, विशिष्टता प्रमाण-पत्र जारी करना तथा कौशल-आधारित परीक्षा का आयोजन करना शामिल है।
- **संस्थाओं की स्थापना:**
    - नए नर्सिंग और प्रसूति विद्या संस्थान स्थापित करने अथवा सीटें/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिये **मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड** से अनुमति लेना आवश्यक है।
    - अस्वीकृति के मामले में **राष्ट्रीय आयोग और केंद्र सरकार** के पास अपील दायर करने की सुविधा उपलब्ध है।
- **एक पेशेवर के रूप में अभ्यास हेतु:**
    - नर्सिंग या प्रसूति कार्य के लिये **व्यक्तियों को राष्ट्रीय अथवा राज्य रजिस्टर में नामांकित होना अनिवार्य** है।
    - **अनुपालन न करने पर कारावास अथवा जुर्माना हो सकता है।**
- **सलाहकार परिषद:**
    - यह नर्सिंग और प्रसूति विद्या शिक्षा, सेवाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर राष्ट्रीय आयोग को सलाह एवं सहायता प्रदान करता है।
    - इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, आयुष मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं नर्सिंग/प्रसूति विद्या के पेशेवर प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023:

- **परिचय:**
    - राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक **भारत में दंत चिकित्सा के विनियमन और सुधार पर केंद्रित है।**
- **मुख्य विशेषताएँ:**
    - दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने के लिये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (National Dental Commission- NDC) की स्थापना।
    - **दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का निरसितीकरण।**

प्रमुख बिंदु:

- **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग :**
    - **संरचना:**
        - इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 33 सदस्यों के साथ किया जाएगा और इसकी **अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित व अनुभवी दंत चिकित्सक द्वारा की जाएगी।**
        - इसके अध्यक्ष की नियुक्ति **खोज-सह-चयन (Search-Cum- Selection)** समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है।
        - आयोग के पदेन सदस्यों में **तीन स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, दंत चिकित्सा और शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, एम्स के प्रमुख** शामिल हैं।
        - अंशकालिक सदस्यों में **सरकारी संस्थानों के दंत चिकित्सा संकाय और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि** शामिल हैं।
    - **कार्य:**
        - दंत चिकित्सा शिक्षा, संस्थानों, अनुसंधान और बुनियादी ढाँचे को विनियमित करना, साथ ही **राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा** (NEET) के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करना।
- **स्वायत्त बोर्ड:**
    - **स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड:** इसका कार्य शिक्षा मानकों का निर्धारण, पाठ्यक्रम तैयार करना और दंत चिकित्सा संबंधी योग्यताओं को मान्यता देना है।
    - **दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड:** यह दंत चिकित्सा संस्थानों के लिये अनुपालन मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने, नए संस्थानों की स्थापना की अनुमति देने तथा निरीक्षण व रेटिंग का कार्य करता है।
    - **नैतिकता और दंत चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड:** यह दंत चिकित्सकों/दंत सहायकों के ऑनलाइन राष्ट्रीय रजिस्टरों के रख-रखाव, लाइसेंस निलंबन/रद्द करने और आचरण, नैतिकता तथा अभ्यास के दायरे के मानकों को विनियमित करने के लिये उत्तरदायी है।
- **राज्य दंत चिकित्सा परिषद:**
    - इसकी स्थापना आगामी एक वर्ष के भीतर की जानी है, जो रजिस्टरों के रख-रखाव, शिकायतों के समाधान और प्रावधानों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- **प्रवेश परीक्षा:**
    - **बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी** में प्रवेश के लिये NEET परीक्षा और लाइसेंसिंग तथा स्नातकोत्तर प्रवेश के लिये **नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**
    - **नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करने के बाद दंत चिकित्सा अभ्यास करने का लाइसेंस प्रदान** किया जाता है, लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले **राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकरण आवश्यक** है।

- **दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद:**
    - इसका कार्य **शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दंत चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुँच उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग को सलाह** देना है ।
    - इस आयोग के पदेन सदस्य परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/healthcare-bills-to-reform-nursing,-midwifery,-and-dentistry